वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

सा०/No. : 5-1(49)/2008-PD 			दिनांक/Dated: 14.01.2022

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय: वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की समयावधि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने के संबंध में ।

Subject : Extension of the time period of submission of life Certificate for Central Government pensioners till 28th February 2022 in wake of current Covid-19 pandemic - regarding.

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31.12.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं० 18/1/2020-पी&पीडबल्यू (एच)-III-6786 को, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.12.2021 द्वारा जारी निर्देशों के साथ, आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension, Department of Pension & Pensioners' Welfare OM No. 18/1/2020-P&PW(H)-IIII-6786 Dated 31.12.2021 on the subject mentioned above along with earlier instructions of DoP&PW issued vide OM dated 01.12.2021 for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

14/01/2022

(उपेन्द्र उपाध्याय/ Upendra Upadhyay)
अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/ Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

सत्यमेव जयते

सं.18/1/2020-पी&पीडबल्यू (एच)-III-6786

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

8 वीं मंजिल, बी-विंग,
जनपथ भवन, जनपथ,
नई दिल्ली -110001
दिनांक: 31-12-2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए **केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की समयावधि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 1.12.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की समय सीमा 31.12.2021 तक बढ़ाई गई थी।

2. विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी के फैलाव और कोरोना वायरस से वयोवृद्ध वर्ग के शीघ्र संक्रमित होने की आशंका को ध्यान में देखते हुए, सभी आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मौजूदा समय-सीमा को दिनांक 30/12/2021 से और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब, ***सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र 28.02.2022 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।*** इस विस्तारित अवधि के दौरान, पेंशन संवितरण प्राधिकारियों (पीडीए) द्वारा पेंशन का भुगतान निर्बाध रूप से जारी रखा जाएगा।

3. उपरोक्त उपायों से शाखाओं में भीड़ से बचने और जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय कोविड -19 के अनुरूप उचित व्यवहार को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पीडीए) अपनी शाखाओं में उचित व्यवस्था बनाए रखें और सामाजिक दूरी के उपायों को भी सुनिश्चित करें तथा यह प्रयास करें कि शाखाओं में कम से कम भीड़ हो।

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन का संज्ञान लें और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

नरेश भारद्वाज

(नरेश भारद्वाज)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. : 011-23350020

......2/-

सेवा में,

1. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सभी पेंशन संवितरण बैंक के सीएमडी।
3. महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली, दिल्ली 110023।
4. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट -II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
5. सभी पेंशन संवितरण बैंक के सीपीपीसी।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली ।
7. सचिव, रक्षा विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. सचिव, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
10. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।
12. राज्यों के सभी मुख्य सचिव।
13. सचिव, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
14. **एनआईसी : - इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु ।**

सत्यमेव जयते

No.18/1/2020-P&PW(H)-III-6786
भारत सरकार / Government of India

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय/ Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/ Department of Pension and Pensioners' Welfare

***

8 वीं मंजिल, बी-विंग,8th Floor, B-Wing,
जनपथ भवन, जनपथ, Janpath Bhawan, Janpath,
नई दिल्ली -110001 /New Delhi-110001
दिनांक/Dated: **31-12-2021.**

OFFICE MEMORANDUM

Sub: ***Extension of the time period of submission of life certificate for Central Government pensioners till 28th February 2022*** in wake of current Covid-19 pandemic - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number dated 1.12.2021 on the subject mentioned above, wherein the timeline for submission of life certificate by Central Government pensioners was extended till 31.12.2021.

2. In view of the ongoing Covid-19 pandemic in various states and keeping in view of the vulnerability of elderly population to Corona Virus, it has now been decided to extend the existing timeline of 31.12.2021 for submission of Life Certificate for all age group of pensioners. Now, ***all Central Government pensioners may submit Life Certificate till 28.02.2022.*** During this extended period, the pension will be continued to be paid by the Pension Disbursing Authorities (PDAs) uninterrupted.

3. The above measures are expected to avoid rush at branches and maintain covid-19 appropriate behaviour, while obtaining Life Certificates. PDAs shall also ensure proper arrangements and social distancing measures at the branches and prevent overcrowding.

4. All Pension Disbursing Authorities are requested to take note of this Office Memorandum for compliance and give wide publicity to the same amongst the pensioners.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Naresh Bhardwaj)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele: 011-23350020

……2/-

To,

1. Secretary, D/o of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
2. CMDs of all Pension Disbursing Banks.
3. Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, GPO Complex, Block E, INA Colony, New Delhi, Delhi 110023.
4. Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
5. CPPCs, All Pension Disbursing Banks.
6. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
7. Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
8. Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, South Block, New Delhi.
9. Secretary, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.
10. Secretary, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.
11. Secretary, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi.
12. All Chief Secretaries of States.
13. Secretary, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi.
14. **NIC: -for posting on website of this Department.**

सं.18/1/2020-पी&पीडब्ल्यू(एच)-III-6786

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

****

8वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली,
दिनांक: 01 दिसंबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय :केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि का 31 दिसंबर, 2021 तक विस्तार

अधोहस्ताक्षरी को यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक केंद्रीय सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर के महीने में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। यह देखा गया है कि इस उद्देश्य हेतु बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी स्वयं बैंक शाखाओं में जाते हैं।

2. कई राज्यों में कोविड-19 महामारी के फैलाव और कोरोना वायरस से वयोवृद्ध वर्ग के शीघ्र संक्रमित होने की आशंका को ध्यान में देखते हुए, सभी आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मौजूदा समय-सीमा को दिनांक 30/11/2021 से और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब, सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र 31 दिसंबर, 2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विस्तारित अवधि के दौरान, पेंशन संवितरण प्राधिकारियों (पीडीए) द्वारा पेंशन का भुगतान निर्बाध रूप से जारी रखा जाएगा।

3. उपरोक्त उपायों से शाखाओं में जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय जल्दबाज़ी से बचने और कोविड-19 अनुरूप व्यवहार को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारी अपनी शाखाओं में उचित व्यवस्था और सामाजिक दूरी के उपायों को सुनिश्चित करें और ऐसे उपाए करें जिनसे शाखाओं में कम से कम भीड़ हो।

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन का संज्ञान लें और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार करें।

5. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

जारी.... 2

सेवा में,

1. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी
3. लेखा महानियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली, दिल्ली 110023
4. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली
5. सीपीपीसी, सभी पेंशन संवितरण बैंक
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
9. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली
12. राज्यों के सभी मुख्य सचिव
13. सचिव, विदेश मंत्रालय, दक्षिणी ब्लॉक, नई दिल्ली
14. एनआईसी:-इस विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए

No.18/1/2020-P&PW(H) - III- 6786
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension
Department of Pension & Pensioners' Welfare
*****

8th Floor, Janpath Bhawan,
Janpath, New Delhi,
Dated the 1st December, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Extension of time period for submission of Life Certificate by Central Government pensioners till December 31, 2021.

The undersigned is directed to mention that every Central Government Retired Employee is required to submit life certificate in the month of November for continuation of his/her pension. It has been observed that a large number of Central Government pensioners physically visit bank branch for this purpose.

2. In view of the ongoing Covid-19 pandemic in various states and keeping in view of the vulnerability of elderly population to Corona Virus, it has now been decided to extend the existing timeline for submission of Life Certificate for all age group of pensioners from 30/11/2021 onwards. Now, all Central Government pensioners may submit Life Certificate till 31st December, 2021. During this extended period, the pension will be continued to be paid by the Pension Disbursing Authorities (PDAs) uninterrupted.

3. The above measures are expected to avoid rush at branches and maintain covid-19 appropriate behavior, while obtaining Life Certificates. PDAs shall also ensure proper arrangements and social distancing measures at the branches and prevent overcrowding.

4. All Pension Disbursing Authorities are requested to take note of this Office Memorandum for compliance and give wide publicity to the same amongst the pensioners.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Ashok Kumar Singh)
Under Secretary to the Govt. of India

Cont…2

To

1. Secretary, D/o of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
2. CMDs of all Pension Disbursing Banks.
3. Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, GPO Complex, Block E, INA Colony, New Delhi, Delhi 110023.
4. Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
5. CPPCs, All Pension Disbursing Banks.
6. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
7. Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
8. Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, South Block, New Delhi.
9. Secretary, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.
10. Secretary, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.
11. Secretary, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi.
12. All Chief Secretaries of States.
13. Secretary, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi.
14. NIC: -**for posting on website of this Department.**